


11.03.24

श्रीमान् जिला कलक्टर वाइमेर के आदेश  
क्रमांक-प( ) ( ) कार्मिक /2023/4610  
दि. 11.08.2023 के द्रम में यह पत्रावली  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वायतु से  
स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। जो नए मुकदमा  
संख्या में दर्ज होकर आयन्दा उभय पक्षकारन  
दिनांक...26.04.24... को पेश हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO), वाइमेर

26.04.24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
चुनाव कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्लवा,  
दोकर 20.08.24 को पेश हो।

18.12.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता  
प्रार्थी व प्रार्थीजण के नाम से अलग-अलग  
समय में तीन बार आवाज दिलाई गई।  
कोई उपार्थित नहीं।  
लिखा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि  
अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी अपने प्रार्थना-  
पत्र को लेकर गंभीर नहीं है।  
लिखा। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पेखी'  
व 'अदम हजिरी' में इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल  
दफतर हो व नंबर से कम हो।

